न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

फौजासिंह आदि बनाम लच्छोबाई आदि

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :– 17 /2023

प्रकरण संख्या (GCMS) :– 2023/69

13.04.2023 यह पत्रावली प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थीगण श्री सीताराम टाक के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील रावला के चक 3 केडी–ए के प0नं0 149/63 मु0न0 02 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 5.755 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के हकहिस्सा की भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु की आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना करे, उनके द्वारा पालना नहीं किये जाने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। बैंक के रहन होने की स्थिति में रहन मुक्त करवाने या बैंक राशि जमा करवाने के लिए यह स्थगन निष्प्रभावी रहेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करके पत्रावली दिनांक 16.05.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

16.05.23 **पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/~~अवकाश पर/ मुख्यालय से बाहर है~~। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 14.08.23 को पेश हो।**

12.07.23 प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर मूल वाद Not Press के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थनापत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिता बिश्नोई)
RAS.

अं० नि० जरनैल/के
अं० नि० कोजा/के
अं० नि० मलकीत